कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत्त दूदू जिला जयपुर ग्रामीण

कमांक 1403

दिनांकः—02.05.19

प्रभारी,
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल,
सी.एम.हैल्प लाईन (181),
राजस्थान।

विषय :— जांच रिपोर्ट/परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी 04/ 209 चित्रकूट वैशाली नगर रहलाना थाना दूदू जिला जयपुर ग्रामीण के संबंध में।

प्रसंग : राजस्थान सम्पर्क पत्र 04190675447079 दिनांक 23.04.19 की पालना में

महोदय जी,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के कम मे निवेदन है कि परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी 04/ 209 चित्रकूट वैशाली नगर रहलाना थाना दूदू द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर एक परिवाद इस आशय का दर्ज करवाया गया है कि परिवादी के अनुसार दिनांक **18.03.19** को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर शीर्षक " कॉलोनी के द्वार पर शराब ठेका, घरो में आये जाये कैसे" के संबंध में, आदि परिवाद मे वर्णित तथ्यों की जांच थानाधिकारी थाना दूदू जिला जयपुर ग्रामीण से करवाई जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तो थानाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट मे अंकित किया है कि जॉच के संबंध में परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार के मोबाईल न. 9828346151 पर सम्पर्क कर परिवाद की जॉच के संबंध में बयान देने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं एक आर. टी.आई. कार्यकर्ता हूँ तथा जयपुर शहर में रहता हूं और अखबार में छपने वाली खबरों की रिपोर्ट मांगता हूं मैने आज तक कोई खबर बयान नही दिये और ना ही देना चाहता तथा मेरे द्वारा दिनांक 18.03.19 राजस्थान पत्रिका में छपी खबर महल रोड एनआरआई चौराहा जयपुर पर शराब की दुकानों के संबंध में परिवाद लगाया था जो घटना आबकारी विभाग जयपुर शहर ही हैं आपसे संबंधी नही है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार के परिवाद के संबंध में घटना महल रोड एनआरआई चौराहा जयपुर शहर पर स्थित शराब की दुकान का हैं जो जयपुर शहर में आबकारी विभाग से संबंधी हैं अतः परिवाद की जांच आबकारी विभाग जयपुर शहर से करवाये जाने की कृपा करें।

अतः जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है ।

पुलिस उप अधीक्षक
वृत्त दूदू
जिला जयपुर ग्रामीण

Scanned by CamScanner